सप्तम माला, खंड 12, अंक 1, सोमवार, 16 फरवरी, 1981/27 माघ, 1902 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(पांचवां सत्र)

सत्यमेव जयते

(खंड 12 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय—सूची

अंक 1, सोमवार 16 फरवरी, 1981/27 माघ, 1902 (शक)

	पृष्ठ
राष्ट्रपति का अभिभाषण--सभा पटल पर रखा गया . .	1–8
निधन सम्बन्धी उल्लेख–	
(श्री शंकर राव तेलकीकर, श्री जी० के० सिंहा, सरदार मोहम्मद लतीफुरर हमान, श्रीमती तारा गोविन्द सप्रे तथा श्री एम० सी० छागला का निधन)	8–9
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	10–13
सभा पटल पर रखे जाने वाले कुछ अध्यादेशों के बारे में .	13–20
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	9-10, 20–21

3477 एल० एस० डी०—1

लोक सभा के लिये निर्वाचित सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

सप्तम लोक सभा

अ

अंकिनीडू, श्री एम० (मछलीपटनम)
अंकिनीडू, प्रसाद राव, श्री पी० (बापतला)
अग्रवाल, श्री सतीश (जयपुर)
अजीत प्रसाद सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अनवर अहमद, श्री (हापुड़)
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद (बिलासपुर)
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस० (अनकापल्ली)
अब्दुल समद, श्री (वैल्लोर)
अब्दुल्ला, डा० फारूक (श्रीनगर)
अब्बासी, श्री काजी जलील (डुमरिया गंज)
अमरीन्द्र सिंह, श्री (पटियाला)
अर्जुनन, श्री के० (धर्मपुरी)
अराकल, श्री जेवियर (एरणाकुलम)
अरुणाचलम, श्री एम० (टेंकासी)
अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस (नरसापुर)
अशफाक हुसैन, श्री (महाराज गंज)
अहमद, श्री मोहम्मद असरार (बदायूं)
अहमद, श्री कमालुद्दीन (बारंगल)

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बंकुरा)
आजमी, डा० ए० यू० (जौनपुर)
आजाद, श्री गुलाम नबी (वाशिम)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आर्य, श्री कुम्भा राम (सीकर)

इ

इन्द्रवेश, स्वामी (रोहतक)
इन्द्राकुमारी, श्रीमती (अलीगढ़)
इम्बीचीबाबा, श्री ई० के० (कालीकट)

ई

ईरा अनबारासु, श्री (चिंगलपट्टू)
ईरा मोहन, श्री (कोयम्बटूर)

उ

उइके, श्री छोटे लाल (मांगला)
उन्नीकृष्णन्, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित-आंग्ल-भारतीय)
एक्का, श्री क्रिस्टोफर (सुन्दरगढ़)

ओ

ओडेदरा, श्री मालदेव जी० एम० (पोरबन्दर)

क

कंडास्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोडे)
कर्ण सिंह, डा० (उधमपुर)
कमलनाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)
कमला कुमारी, कुमारी (पलामू)
कर्मा, श्री लक्ष्मण (बस्तर)
करुणानिधि, श्री थाझाई, एम० (नागापट्टिनम्)
कलानिधि, डा० ए० (मद्रास मध्य)
कश्यप, श्री जयपाल सिंह (आंवला)
काजी सलीम, श्री (औरंगाबाद)
कादरी, श्री एस० टी० (शिमोगा)
कामाक्षैया, श्री डोड्ड (नेल्लोर)
काइगाडोज, श्री जैड० एन० (मालेगांव)

किदवई, श्रीमती मोहसिना (मेरठ)
कुचन, श्री गंगाधर एस० (शोलापुर)
कुंवर राम, श्री (नवादा)
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री (अमालापुरम)
कुन्हम्बू, श्री के० (कान्नानौर)
कुरियन, प्रो० पी० जे० (मवेलीकारा)
कुलनदईवेलु, डा० वी० (चिदम्बरम)
कृष्ण, श्री एम० एस० (माण्डया)
कृष्णन्, श्री जी० वाई०, (कोलार)
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री (महाराजगंज)
कैयर भूषण, श्री (रायपुर)
कैलासशाते, श्रीमती (मोहनलाल गंज)
कोचक, श्री गुलाम रसूल (अनन्तनाग)
कोडियन, श्री पी० के० (अडूर)
कोसलराम, श्री के० टी० (तिरुचेन्डूर)
कौशल, श्री जगन्नाथ (चंडीगढ़)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)

ख

खां, श्री आरिफ मोहम्मद (कानपुर)
खां, श्री गयूर अली (मुजफ्फरनगर)
खां, श्री जुल्फिकार अली (रामपुर)
खां, श्री मलिक एम० एम० ए० (एटा)
खां, श्री महमूद हसन (बुलन्दशहर)

ग

गंगवार, श्री हरीश कुमार (पीलीभीत)
गधावी, श्री भेरावदन के० (बनासकांठा)
गामित, श्री छीतूभाई (माण्डवी)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गहलोत, श्री अशोक (जोधपुर)
गांधी, श्रीमती इन्दिरा (मेडक)
गाडगिल, श्री वी० एन० (पुणे)
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव (कोल्हापुर)

गायकवाड़, श्री आर० पी० (वड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (कैराना)
गिरि, श्री सुधीर (कन्टई)
गिरिराज सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
गुफरान आजम, श्री (बेतुल)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (बसीरहाट)
गुलशेर अहमद, श्री (सतना)
गुलाम मोहम्मद खां, श्री (मुरादाबाद)
गौजागिन, श्री एन० (बाह्य मणिपुर)
गोपालन, श्रीमती सुशीला (अलप्पी)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोयल, श्री कृष्ण कुमार (कोटा)
गोहिल, श्री जी० बी० (भावनगर)
गौंडर, श्री ए० सेनापति (पलानी)
गौडा, श्री एच० एन० नन्जे (हसन)
गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते (चिकमगलूर)

घ

घोरपाड़े, श्री आर० वाई० (वेल्लारी)
घोष, श्री नीरेन (दमदम)
घोष, श्रीमती विभा गोस्वामी (नवद्वीप)

च

चन्द्रपाल सिंह, श्री (अमरोहा)
चन्द्रशेखर, श्री (बलिया)
चन्द्रशेखर सिंह, श्री (बांका)
चक्रधारी सिंह, श्री (सरगुजा)
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन (कलकत्ता-दक्षिण)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (जादवपुर)
चतुर्भुज, श्री (झालावाड़)
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती (खजुराहो)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी० (दावनगेरे)

चरणजीत सिंह, श्री (दक्षिण दिल्ली)
चरण सिंह, श्री (बागपत)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चव्हाण, श्री एस० बी० (नांदेड़)
चावडा, श्री ईश्वरभाई खोडा भाई (आनन्द)
चिंगवांग कोनयक, श्री (नागालैण्ड)
चिन्नास्वामी, श्री सी० (गोबिचेट्टिपलयम)
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या (विजयवाड़ा)
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान (माल्दा)
चौधरी, श्री के० बी० (बीजापुर)
चौधरी, श्री चित्तुरी सुब्बाराव (एलुरु)
चौधरी, श्रीमती उषा प्रकाश (अमरावती)
चौधरी, श्री मनफूल सिंह (बीकानेर)
चौधरी, श्री मोती भाई आर० (मेहसाना)
चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहामपुर)
चौबे, श्री नारायण (मिदनापुर)
चौहान, श्री फतेहभान सिंह (धार)

छ

छंगुर राम, श्री (लाल गंज)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जगपाल सिंह, श्री (हरिद्वार)
जाखड़, श्री बलराम (फिरोजपुर)
जटिया, श्री सत्यानारायण (उज्जैन)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (बंगलौर—उत्तर)
जडेजा, श्री दौलत सिंह जी (जामनगर)
जमीलुर्रहमान, श्री (किशनगंज)
जयदीपसिंह, श्री (गोधरा)
जयनारायण रौत, श्री (सलूम्बर)
जैनुल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)

जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहांपुर)
जेठमलानी, श्री राम (बम्बई उत्तर-पश्चिम)
जेना, श्री चिंतामणि (बालासोर)
जैन, श्री निहाल सिंह (आगरा)
जैन, श्री भीकूराम (चांदनी चौक)
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र (बाड़मेर)
जैनुल बशर, श्री (गाजीपुर)
जैल सिंह, श्री (होशियारपुर)

झ

झा, श्री कमलनाथ (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (मधुबनी)
झारखंडेराय, श्री (घोसी)

ट

टन्डन, श्री प्रभुनारायण (दमोह)
टाईटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)
टुडु श्री मनमोहन (मयूरगंज)

ठ

ठाकुर, श्री शिवकुमार सिंह (खंडवा)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डामोर, श्री सोमजी भाई (दोहद)
डूंगर सिंह श्री (हमीरपुर)
डेनिस, श्री एन० (नागरकोइल)
डोगरा, श्री गिरधारी लाल (जम्मू)

त

तपेश्वर सिंह, श्री (बिक्रमगंज)
तारिक अनवर, श्री (कटिहार)
तिरकी, श्री पीयूष (आलीपुरद्वार)
तिवारी, प्रो० के० के० (बक्सर)
तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि (बलरामपुर)

तिवारी, श्री नारायण दत्त (नैनीताल)
तिवारी, श्री रामगोपाल (जंजगीर)
तुर, श्री लहना सिंह (तरनतारन)
तेइयेंग, श्री सोबेंग (अरुणाचल पूर्व)
तैयब हुसैन, श्री (फरीदाबाद)

थ

थामस, श्री स्कारिया (कोट्टायम)
थुंगोन श्री पी० के० (अरुणांचल पश्चिम)
थोरट, श्री भाऊसाहिब (पंढरपुर)

द

दंडवते, श्रीमती प्रमिला (बम्बई उत्तर मध्य)
दंडवते, प्रो० मधु (राजापुर)
दलबीर सिंह, श्री (शहडोल)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दंडपाणि, श्री सी० टी० (पोल्लाची)
दाभी, श्री अजीत सिंह (कैरा)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री रेणुपद (कृषनगर)
दिग्विजय सिंह, श्री (सुरेन्द्रनगर)
दिगम्बर सिंह, श्री (मथुरा)
दुबे, श्री बिन्देश्वरी (गिरिडीह)
दुबे, श्री रामनाथ (बांदा)
देव, श्री वी० किशोरचन्द्र एस० (पार्वतीपुरम)
देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)
देवराजन श्री बी० (रसिपुरम)
देवीलाल, श्री (सोनीपत)
देसाई, श्री बी० वी० (रायचूर)

ध

धोटे, श्री जाम्बुवंत (नागपुर)

न

नन्दी, येल्लैया, श्री (सिद्दिपेट)
नगीना राय, श्री (गोपालगंज)
नगनगोम मोहेन्द्रा, श्री (आँतरिक मणिपुर)
नटराजन, श्री कुमबुम एन० (पेरियाकुलम)
नाईक, श्री सरूपसिह हिरया (नानदरबार)
नागरत्नम श्री टी० (श्रीपेरंबदूर)
नामग्याल, श्री पी० (लद्दाख)
नायर, श्री बी० के० (क्विलोन)
नायकर, श्री डी० के० (धारवाड़ उत्तर)
नायक, श्री जी० देवराय (कनारा)
नायक, श्री मृत्युंजय (फूलबनी)
नायडू, श्री पी० राजगोपाल (चित्तूर)
नारायण, श्री के० एस० (हैदराबाद)
नहाटा, श्री बी० आर० (मन्दसौर)
नीखरा, श्री रामेश्वर (होशंगाबाद)
निहाल सिंह, श्री (चन्दौली)
निहालसिंह, बाला श्री जी० एस० (संगरूर)
नाडार, श्री ए० नीलालोहिथादसन (त्रिवेन्द्रम)
नेगी, श्री टी० एस० (टिहरी गढ़वाल)
नेताम, श्री अरविन्द (काँकेर)
नेहरू, श्री अरुण कुमार (रायबरेली)

प

पंडित, डा० बसन्त कुमार (राजगढ़)
पटनायक, श्री बीजू (केन्द्रपाड़ा)
पट्टाभिरामा राव, श्री एम० बी० पी० (राजामुन्द्री)
पत्तुस्वामी, श्री डी० (वन्डावाशी)
पटेल, श्री अमृत (गांधीनगर)
पटेल, श्री अहमद मोहम्मद (भड़ौच)
पटेल, श्री उत्तमभाई एच० (बलसार)
पटेल, श्री सी० डी० (सूरत)

पटेल, श्री मोहन भाई (जूनागढ़)

पटेल, श्री शान्तुभाई (साबरकंठा)

पदायाची, श्री एन० एस० रामास्वामी (तिंडीवनम)

पनिका, श्री राम प्यारे (राबर्टसगंज)

परमार, श्री हीरालाल आर० (पाटन)

पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)

परुलेकर, श्री बाबूसाहिब (रत्नगिरि)

पलानीअप्पन, श्री सी० (सलेम)

पवार, श्री बालासाहिब (जालना)

पाइलट, श्री राजेश (भरतपुर)

पाटिल, श्री ए० टी० (कोलाबा)

पाटिल, श्री चन्द्र भान आठरे (अहमदनगर)

पाटिल, श्री वसन्तराव (सांगली)

पाटिल, श्री विजय एन० (इरन्दोल)

पाटिल, श्री शिवराज वी० (लातूर)

पाटिल, श्री शंकरराव (बारामती)

पाटिल, श्री उत्तमराव (यवतमाल)

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)

पाटिल, श्री वीरेन्द्र (बागलकोट)

पाठक, श्री आनन्द (दार्जिलिंग)

पांडे, श्री कृष्णचन्द्र (खलीलाबाद)

पांडे, श्री केदार (बेतिया)

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)

पार्थसारथी, श्री पी० (राजमपेट)

पारधी, श्री केशवराव (भंडारा)

पाल, प्रो० रूपचन्द (हुगली)

पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)

पुजारी, श्री जनार्दन (मंगलौर)

पुलैया, श्री दारूर (अनन्तपुर)

पुष्पादेवी सिंह, कुमारी (रायगढ़)

प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)

प्रभु, श्री आर० (नीलगिरि)

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन० (चिकबल्लापुर)
प्रेमी, श्री मंगलराम (बिजनौर)
पेंचालैया, श्री पसाला (तिरुपति)
पोटदुखे, श्री शान्ताराम (चन्द्रपुर)

फ

फर्नान्डीस, श्री ग्रोस्कर (उदीपी)
फर्नान्डीस, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)
फुलवारिया, श्री विरदा राम (जालोर)
फैलीरो, श्री एडुग्राडों (मारमागाग्रो)

ब

बनातवाला, श्री जी० एम० (पोन्नानी)
बंसीलाल, श्री (भिवानी)
बर्मन, श्री पलाश (बलूरघाट)
बेरवा, श्री बनवारीलाल (टोंक)
बरवे, श्री जे० सी० (रामटेक)
ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर (फरीदकोट)
बरोट, श्री मगनभाई (ग्रहमदाबाद)
बहेरा, श्री रास बिहारी (कालाहांडी)
बसु, श्री चित्त (बारसाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बागड़ी, श्री मनीराम (हिसार)
बागुन, सुम्बरूई श्री (सिंहभूम)
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी (सीतापुर)
बालन, श्री ए० के० (ग्रोट्टापालम)
बालानन्दन, श्री ई० (मकुन्दपुरम)
बालेश्वर राम, श्री (रोसेड़ा)
बीरबल, श्री (गंग ानगर)
बीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़)
बूटासिंह, श्री (रोपड़)
बृजेन्द्र पाल सिंह, श्री (सम्भल)

बैठा, श्री डूमरलाल (अररिया)
बैरो, श्री ए० ई० टो० (नामनिर्देशित-आँग्ल-भारतीय)
बोड्डेपल्ली, श्री राजगोपालराव (श्रीकाकुलम)

भ

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)
भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी०, आर० (सीतामढ़ी)
भगवान देव, आचार्य (अजमेर)
भट्टाचार्य, श्री सुशील (वर्दवान)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भारद्वाज, श्री परसराम (सारंगढ़)
भीखाभाई, श्री (बांसवाड़ा)
भीमसिंह, श्री (झुन्झुनू)
भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)
भोई, डा० कृपासिंधु (सम्बलपुर)
भोये, श्री रेशमा मोतीराम (धुले)
भोले, श्री आर० आर० (बम्बई दक्षिण-मध्य)

म

मकवाना, श्री नरसिंह (ढंढुका)
मण्डल, श्री मकुन्द (मथुरापुर)
मण्डल, श्री सनत कुमार (जयनगर)
मण्डल, श्री धनिकलाल (झंझारपुर)
मणि, श्री के० बी० एस० (पेरम्बलूर)
मधुकर, श्री कमला मिश्र (मोतीहारी)
मन्नीलाल, श्री (हरदोई)
माधुरी सिंह, श्रीमती (पूर्णिया)
मालन्ना, श्री के० (चित्रदुर्ग)
मावणि, श्री रामजी भाई (राजकोट)
मलिक, श्री लक्ष्मण (जगतसिंहपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (महबूबनगर)
मसुदल हुसैन, श्री सैयद (मुर्शिदाबाद)
महन्ती, श्री बृजमोहन (पुरी)

महाजन, श्री वाई० एस० (जलगांव)
महाजन, श्री विक्रम (कांगड़ा)
महाटा, श्री चित्त (पुरुलिया)
महाबीर प्रसाद, श्री (बांसगांव)
महालगी, श्री आर० के० (ठाणे)
महाला, श्री आर० पी० (दादरा तथा नगर हवेली)
महेन्द्र प्रसाद, श्री (जहानाबाद)
माने, श्री आर० एस० (इचलकरांजी)
मायातेवर, श्री के० (डिन्डिगल)
मार्तण्ड सिंह, श्री (रीवा)
मल्लु, श्रीअनन्त रामुल, (नगरकुरनूल)
मिश्र, श्री नित्यानन्द (बोलनगीर)
मिश्र, श्री राम नगीना, (सलेमपुर)
मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)
मिस्र, श्री हरिनाथ (दरभंगा)
मिश्र, श्री गार्गीशंकर (सिवनी)
मीणा, श्री राम कुमार (सवाई माधोपुर)
मिर्धा, श्री नाथू राम (नागौर)
मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मुखोपाध्याय, श्री आनन्दगोपाल (आसनसोल)
मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद (बहराइच)
मुबारक शाह, श्री ख्वाजा (बारामूला)
मुत्तेमवार, श्री विलास (चिमूर)
मुथुकुमारन, श्री आर० (कुड्डालौर)
मुन्डाकल, श्री जार्ज जोसफ (मुक्तुपुजा)
मुरुगैयन, श्री एस० (तिरुपत्तूर)
मुल्तान सिंह, चौधरी (जलेसर)
मूर्ति, श्री एम०बी० चन्द्रशेखर (कनकपुरा)
मूर्ति, श्री एम० राजशेखर (मैसूर)
मेहता, प्रो० अजित कुमार (समस्तीपुर)
मेहता, डा० महपति राय एम० (कच्छ)
मैत्रा, श्री सुनील (कलकत्ता उत्तर पूर्व)

मोतीलाल सिंह, श्री (सीधी)
मोदक, श्री विजय (आरामबाग)
मोरे, श्री रामकृष्ण (खेड़)
मोहम्मद इस्माइल, श्री (बैरकपुर)
मोहिते, श्री यशवन्तराव (कराड़)
मोहसिन, श्री एफ०एच० (धारवाड़ दक्षिण)

य

याजदानी, डा० गोलम (रायगंज)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री छोटे सिंह (कन्नोज)
यादव, श्री डी०पी० (मुंगेर)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री आर०एन० (परभणी)
यादव, श्री रामसिंह (अलवर)
यादव, श्री विजय कुमार (नालन्दा)
यादव, श्री सुभाष चन्द्र (खरगोन)
युसुफ, श्री मोहम्मद (सिवान)

र

रंगा, प्रो० एन० जी० (गुन्टूर)
रवाणी, श्री नवीन (अमरेली)
रशीद मसूद, श्री (सहारनपुर)
रहीम, श्री ए०ए० (चिरयिन्किल)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राकेश, श्री आर० एन० (चैल)
राजदा, श्री रत्नसिंह (बम्बई दक्षिण)
राजन, श्री के० ए० (त्रिचूर)
राजामल्लू, श्री के० (पेद्दापल्लि)
राजू, श्री पी० वी० जी० (बोबिली)
राजेश कुमार सिंह, श्री (फिरोजाबाद)
रणजीत सिंह, श्री (चतरा)
रणवीर सिंह, श्री (केसरगंज)

रथ, श्री रामचन्द्र (ग्रास्का)

राठवा, श्री ग्रमरसिंह (छोटा उदयपुर)

राठौर, श्री उत्तम (हिंगोली)

राणे, श्रीमती संयोगिता (पाणाजी)

राम ग्रवध, श्री (ग्रकबरपुर)

राम, श्री रामस्वरूप (गया)

रामकिंकर, श्री (बाराबंकी)

रामलिंगम्, श्री एन० कुदन्तई (मयूरम)

राममूर्ति, श्री के० (कृष्णगिर)

रामुलु, श्री एच०जी० (कोप्पल)

राय, श्री ए० के० (धनबाद)

राय, श्री एम० रामन्ना (कासरगोड)

राय, श्री रामायण (देवरिया)

राय, डा० सरदीश (बोलपुर)

राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)

राय प्रधान, श्री ग्रमर (कूच बिहार)

राव, श्री एम०एस० संजीवी (काकीनाडा)

राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)

राव, श्री जगन्नाथ (बरहामपुर)

राव, श्री जलगांव कोन्डाला (खम्मम)

राव, श्रीमती बी० राधाबाई ग्रानन्द (भद्राचलम)

राव, श्री एम० नागेश्वर (तेनालि)

राव, श्री पी०वी० नरसिंह (हनमकोंडा)

रावत, श्री हरीश चन्द्रसिंह (ग्रलमोड़ा)

राही, श्री रामलाल (मिसरिख)

रियान, श्री बाजूवन (त्रिपुरा पूर्व)

रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)

रेड्डी, श्री के० ग्रोबुल (कड़प्पा)

रेड्डी, श्री के० ब्रह्मनन्द (नरसारावपेट)

रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर (कुरनूल)

रेड्डी, श्री जी० एस० (मिरयालगुडा)

रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री टी० दामोदर (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दुपुर)
रेड्डी, श्री पी० वेंकट (ओंगोल)
रोथुआमा, डा० आर० (मिजोरम)

ल

लकप्पा, श्री के० (टुमकुर)
लक्ष्मनन् श्री जी० (मद्रास उत्तर)
लास्कर श्री निहार रंजन (करीमगंज)
लारेंस श्री एम०एम० (इदुक्की)

व

व्यास, श्री गिरधारी लाल (भीलवाड़ा)
वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद (आरा)
वर्मा, श्री जयराम (फैजाबाद)
वर्मा, श्री फूलचन्द (शाजापुर)
वर्मा, श्रीमती ऊषा (खेरी)
वर्मा, रघुनाथ सिंह (मैनपुरी)
वर्मा, श्री रवीन्द्र (बम्बई उत्तर)
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद (कोडरमा)
वर्मा, श्री शिवचरण (मछलीशहर)
वाघ, डा० प्रताप (नासिक)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (नई दिल्ली)
वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र (बुलढ़ाना)
विजयराघवन, श्री बी०एस० (पालघाट)
वीरभद्रसिंह, श्री (मण्डी)
विश्वास, श्री अजय (त्रिपुरा पश्चिम)
वेंकटरामन, श्री आर० (मद्रास दक्षिण)
वेंकटसुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेलु, श्री एम० एम० (अर्कोनम)
वैराले, श्री मधु सूदन (अकोला)

3477 एल० एस०—II

श

शंकरानन्द, श्री बी० (चिकौड़ी)

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़)

शनमुगम, श्री पी० (पांडिचेरी)

शमन्ना, श्री टी० आर० (बंगलौर दक्षिण)

शर्मा, श्री कालीचरण (भिण्ड)

शर्मा, श्री चिरंजीलाल (करनाल)

शर्मा, श्री नन्द किशोर (बालाघाट)

शर्मा, श्री नवल किशोर (दौसा)

शर्मा श्री प्रताप भानु (विदिशा)

शर्मा, श्री मुन्दर (जबलपुर)

शर्मा, श्री विश्वनाथ (झांसी)

शर्मा, डा० शंकरदयाल (भोपाल)

शाक्य, श्री दयाराम (फर्रुखाबाद)

शाक्य, श्री रामसिंह (इटावा)

शाक्यवार, श्री नाथुराम (जालौन)

शास्त्री, श्री धर्मदास (करोलबाग)

शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर (सैदपुर)

शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)

शास्त्री, श्री हरिकृष्ण (फतेहपुर)

शिगंडा, श्री डी०बी० (दहानू)

शिवप्रकाशम्, श्री डी०एस० ए० (तिरुनेलवेली)

शिवशंकर, श्री पी० (सिकन्दराबाद)

शिवेन्द्र बहादुर सिंह श्री (राजनन्दगांव)

शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमुन्द)

शेजवलकर, श्री एन० के० (ग्वालियर)

शैलानी, श्री चन्द्रपाल (हाथरस)

श्री निवास प्रसाद, श्री वी० (चामराजनगर)

ष

षाडंगी, श्री रुद्र प्रताप (जमशेदपुर)

स

संखवार, श्री आशकरन (घाटमपुर)

संगमा, श्री पी०ए० (तुरा)

सईद, श्री पी०एम० (लक्षदीप)

सज्जन कुमार, श्री (बाह्य दिल्ली)

सत्यदेवसिंह, प्रो० (छपरा)

सतियेन्द्रन, श्री एम०एस० के० (रामनाथपुरम)

सतीश प्रसाद सिंह, श्री (खगरिया)

समीनुद्दीन, श्री (गोड्डा)

साठे, श्री वसन्त (वर्धा)

सारण, श्री दौलतराम (चुरू)

सावंत, श्री टी०एम० (उस्मानाबाद)

साहा, श्री अजित कुमार (विष्णुपुर)

साहा, श्री गदाधर (बीरभूम)

साही, श्रीमती कृष्णा (बेगूसराय)

साहू, श्री नारायण (देवगढ़)

साहू, श्री शिवप्रसाद (रांची)

सिंगारावाडीवेल, श्री एस० (तंजाबुर)

सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)

सिन्हा, श्रीमती किशोरी (वैशाली)

सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी (शिवहर)

सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)

सिंह, श्री धर्मबीर (बाढ़)

सिंह, श्री सी०पी०एन० (पदरौना)

सिंह, डा० बी० एन० (हजारीबाग)

सिंह, श्री धर्मगज (शाहबाद)

सिंह, श्री बी० डी० (फूलपुर)

सिंह देव, श्री के० पी० (ढकानाल)

सिदनाल, श्री एस० बी० (बेलगाम)

सुखबन्स कौर, श्रीमती (गुरदासपुर)

सुखाड़िया, श्री मोहन लाल (उदयपुर)

सुन्दरराजन, श्री एन० (शिवकासी)

सुन्दरसिंह, श्री (फिल्लौर)
सुब्बा श्री पी०एम० (सिक्किम)
सुब्बुरमण, श्री ए० जी० (मदुरै)
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त (शिमला)
सूरजभान, श्री (अम्बाला)
सूर्यनारायण सिंह, श्री (बलिया)
सूर्यवन्शी, श्री नरसिंह (बीदर)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (मेजेरी)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेठी, श्री पी०सी० (इन्दौर)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, श्री सुबोध (जलपाईगुड़ी)
सेबस्तियन, श्री ए०ए० दोराई (करूर)
सेलवाराजू, श्री एन० (तिरुचिरापल्ली)
सैनी, श्री मनोहरलाल (कुरुक्षेत्र)
सोनकर, श्री कल्पनाथ (बस्ती)
सोरन, श्री शिबू (दुमका)
सोरन, श्री हरिहर (क्योंझर)
सोलंकी श्री नटवरसिंह (कापड़वंज)
सोलंकी, श्री बाबूलाल (मुरैना)
स्टीफन, श्री सी०एम० (गुलबर्गा)
स्पैरो, श्री आर०एस० (जालन्धर)
स्वामी, डा० सुब्रह्मण्यम (बम्बई उत्तर पूर्व)
स्वामी, श्री के०ए० (विशाखापत्तनम्)
स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (शिवगंगा)
स्वामीनाथन, श्री वी०एन० (पुददकोट्टई)

ह

हन्नान मोल्लाह, श्री (उलुबेरिया)
हरिकेश बहादुर, श्री (गोरखपुर)
हसदा, श्री मतिलाल (झाड़ग्राम)
हाकमसिंह, श्री (भटिंडा)
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र (दुर्गापुर)

हेमब्रम, श्री सेत* (राजहमल)
होरो, श्री एन०ई० (खूंटी)

क्ष

क्षीर सागर, श्रीमती केशरबाई (बांड़)

त्र

त्रिपाठी, श्री कमलापति* (वाराणसी)
त्रिपाठी, श्री रामनारायण (बिल्हौर)
त्रिलोकचन्द, श्री (खुर्जा)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री बलराम जाखड़

उपाध्यक्ष

श्री जी० लक्ष्मनन्

सभापति तालिका

श्री गुलशेर अहमद

श्री सोमनाथ चटर्जी

श्री हरिनाथ मिश्र

श्री के० राजामल्लू

श्री चन्द्रजीत यादव

श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही

सचिव

श्री अवतार सिंह रिखी

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री (सभी मंत्रालय/विभाग जिनको नीचे निर्दिष्ट नहीं किया गया) ...	श्रीमती इंदिरा गांधी
वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री ...	श्री प्रणव मुखर्जी
विदेश मंत्री ...	श्री पी० वी० नरसिंह राव
गृह मंत्री ...	श्री जैल सिंह
संचार मंत्री ...	श्री सी०एम० स्टीफन
वित्त मंत्री ...	श्री आर० वेंकटरामन
ऊर्जा मंत्री ...	श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी
शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री ...	श्री एस० बी० चव्हाण
रेल मंत्री ...	श्री केदार पांडे
नौवहन और परिवहन मंत्री ...	श्री वीरेन्द्र पाटिल
सूचना और प्रसारण मंत्री ...	श्री वसंत साठे
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री ...	श्री प्रकाश चन्द्र सेठी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री ...	श्री पी० शिव शंकर
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री ...	श्री बी० शंकरानन्द
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री ...	श्री अनन्त प्रसाद शर्मा
नागरिक पूर्ति मंत्री ...	श्री विद्या चरण शुक्ल
संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री ...	श्री भीष्म नारायण सिंह
कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री ...	राव बीरेन्द्र सिंह
योजना तथा श्रम मंत्री ...	श्री नारायण दत्त तिवारी

राज्य मंत्री

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री ...	श्री जियाउर्रहमान अन्सारी
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ...	श्री भागवत झा आजाद
उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ...	श्री चरणजीत चानना
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री ...	श्री चन्दूलाल चंद्राकर
शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ...	श्रीमती शीला कौल
संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री ...	श्री सीताराम केसरी

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री .	श्री खुर्शीद आलम खान
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री निहार रंजन लास्कर
ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री . .	श्री विक्रम महाजन
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री .	श्री योगेन्द्र मकवाना
संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री . .	श्री कार्तिक उरांव
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री . .	श्री शिवराज वी० पाटिल
कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री . . .	श्री बालेश्वर राम
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री . .	श्री सी० के० जाफ़र शरीफ
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बूटा सिंह
विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री . . .	श्री सी० पी० एन० सिंह
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री . . .	श्री दलबीर सिंह
श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री . .	श्रीमती राम दुलारी सिन्हा
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री . .	श्री सवाई सिंह सिसोदिया
कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री आर० वी० स्वामीनाथन
गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री पी० वेंकट सुब्बय्या

उप मंत्री

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री .	श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ
वित्त मंत्रालय में उप मंत्री . .	श्री मगनभाई बरोट
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री .	कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी
कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उप मंत्री	कुमारी कमला कुमारी
रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री	श्री मल्लिकार्जुन
नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री .	श्री बृज मोहन महन्ती
संचार मंत्रालय में उप मंत्री . .	श्री विजय एन० पाटिल
श्रम मंत्रालय में उप मंत्री . .	श्री पी० वेंकट रेड्डी
उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री . .	श्री पी० ए० संगमा
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री .	श्री पी० के० थुंगन

लोक सभा

सोमवार, 16 फरवरी, 1981/27 माघ, 1902 (शक)

लोक सभा बारह बजकर पैंतीस मिनट पर समवेत हुई

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

राष्ट्रपति का अभिभाषण

सचिव : मैं 16 फरवरी, 1981 को संसद् के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्वारा दिये गये अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

माननीय सदस्यगण,

संसद् के 1981 के इस पहले सत्र में आपका स्वागत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आपके सामने काफी लम्बी-चौड़ी और महत्वपूर्ण कार्यसूची है। मैं आपके बजट तथा विधायी कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने की शुभकामना करता हूं।

तेरह महीने पूर्व सरकार ने सत्ता संभाली। तब से वह तीन वर्षों की निष्क्रियता और दिशाहीनता के कारण बिगड़ी हुई देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए तेजी और मजबूती से आगे बढ़ रही है। स्फीति-निवारक नीतियों को जोरदार तरीके से अपनाया गया। अधिक उत्पादन द्वारा देश की आपूर्तियों में वृद्धि, क्षमता का बेहतर उपयोग, बुनियादी संरचना का बेहतर तरीके से काम करना, आवश्यक वस्तुओं का आयात और देश की आपूर्तियों में बाधा डालने वाली समाज-विरोधी गतिविधियों को रोकना—इन नीतियों का प्रमुख मुद्दा रहा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो। मुद्रा और ऋण संबंधी चयनात्मक नीति से मुद्रा-विस्तार को नियंत्रित किया गया। इसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति की दर में महत्वपूर्ण कमी आई है जो कि 23 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत रह गई है।

1979–80 के अभूतपूर्व सूखे से बड़ी कठिन स्थिति पैदा हो गई। इसके अनर्थकारी परिणामों को रोकने के लिए केन्द्र और राज्यों की सरकारों ने बहुत बड़े पैमाने पर राहत कार्य किये, जिनमें खाद्यान्नों की सप्लाई, पीने के पीने की व्यवस्था और "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम को 'जोरदार ढंग से अमल में लाना शामिल हैं। इस बात का श्रेय सभी को है कि ऐसा विराट कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सका।

1979–80 में खाद्यान्नों के उत्पादन में 2 करोड़ 30 लाख टन की कमी आई। गन्ने और तिलहनों के उत्पादन में भी गिरावट आई। इस सरकार ने 1980–81 में कृषि उत्पादन कार्यक्रमों की ओर ज्यादा ध्यान दिया। उर्वरकों, कीटनाशी औषधियों और सुधरी किस्म के बीजों को उपलब्ध कराया गया। सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि की गई। ये उपाय कपास, जूट और गन्ने जैसी खरीफ फसलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि करने में सहायक हुए। इस

खरीफ में खाद्यान्नों का लगभग 7 करोड़ 95 लाख टन का उत्पादन अब तक का रिकार्ड है। गेहूं की मौजूदा फसल से अच्छी उपज मिलने की संभावना है।

अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी पुनरुद्धार के स्पष्ट चिह्न दिखाई पड़ने लगे हैं। औद्योगिक गतिविधि ने जो उन्नति जून-जुलाई 1980 में करनी शुरू की थी उसने वित्तीय वर्ष के उत्तरार्ध में अच्छी रफ्तार पकड़ ली। जून, 1979 के मुकाबले में जून, 1980 में उत्पादन में 0.1 प्रतिशत की गिरावट आई, लेकिन जनवरी, 1980 के मुकाबले में जनवरी, 1981 में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रमुख वस्तुओं के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि परिलक्षित हुई है। बिजली के उत्पादन में 6 प्रतिशत वृद्धि हो जाने की आशा है। कोयले का उत्पादन पिछले वर्ष इसी अवधि के स्तर से पहले ही 8 प्रतिशत अधिक है। रेलों की कार्यचालन दक्षता का स्तर इस समय ज्यादा ऊंचा है और वे आवश्यक वस्तुओं के लाने-ले-जाने के काम को ज्यादा तेजी से कर रही है। उम्मीद है कि 1980–81 के दौरान राष्ट्रीय आय में लगभग 6.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

हमारी अर्थव्यवस्था को बाहरी मुद्रास्फीति-दबावों से पृथक रखना संभव नहीं है। भुगतान-शेष की स्थिति चिन्ता का विषय बनी हुई है। तेल के मूल्यों में 1979 से तेजी के साथ हुई वृद्धि का पूरा असर अब 1980–81 में ही महसूस हुआ है। इसकी वजह से और देश के आवश्यक आयातों को प्रभावित करने वाली अन्य मूल्य-वृद्धियों की वजह से, 1978–79 में हुए 6800 करोड़ रुपये के कुल आयात 1979–80 में तेजी के साथ बढ़कर 8500 करोड़ रुपये के हो गये और 1980–81 में वे 11000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा के होंगे। इस तरह 1980–81 में व्यापार घाटे में काफी वृद्धि होने की आशंका है।

सरकार निर्यातों में वृद्धि करने और आयात की जाने वाली वस्तुओं को प्रतिस्थापित करने के लिए यथासंभव कदम उठा रही है। निर्यातों के लिए उत्पादन में वृद्धि के लिए किए जा रहे उपायों में, क्षमता से अधिक निर्यात उत्पादन की अनुमति देना, इस प्रकार के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के आयात के प्रति अनुकूल रुख अपनाना और शत-प्रतिशत निर्यातलक्षी यूनिटों को प्रोत्साहन देना शामिल हैं। सरकार ने निर्यातों के लिए ऋण उपलब्ध होने की स्थिति में सुधार करने के लिए एक निर्यात और आयात बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया है।

औद्योगिक निवेश और वृद्धि के लिए वातावरण सुधरा है। लघु और सहायक उद्योगों के लिए निवेश की सीमा को बढ़ाया गया है, स्वत: वृद्धि की सुविधा अधिक उद्योगों को प्रदान की गई है, और लाइसेंस और मंजूरी की कार्यविधियों को सरल और कारगर बना दिया गया है। इस दिशा में जो अन्य कदम उठाए गए हैं उनमें उत्पादन को और रोजगार के अवसरों को अधिकतम करना, क्षेत्रीय असंतुलनों को ठीक करना, कृषि-आधारित उद्योगों को मजबूत करना और निर्यातलक्षी तथा आयात-प्रतिस्थापक उद्योगों का ज्यादा तेजी से विकास करना शामिल हैं। पिछड़े इलाकों के विकास की एक नई नीति भी तैयार की गई है।

छह और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और बैंकिंग क्षेत्र से यह अपेक्षा की गई कि वह खास तौर से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए चलाए गए 20-सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए सक्रिय रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करे।

सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। खाद्यान्नों, गन्ने, दालों, कपास, तिलहनों तथा अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की गई है। फसल कटने के बाद अधिप्राप्ति व्यवस्था द्वारा विपणन सहायता सुनिश्चित की गई।

पिछली सरकार की कंट्रोल हटा लेने की नीतियों से गन्ने और चीनी के उत्पादन में भारी गिरावट आई। इसमें सुधार लाने के लिए सरकार ने किसानों को मिलने वाली गन्ने की कीमतों में वृद्धि की, नए कारखानों और विस्तार परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया, कमजोर कारखानों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए मूल्य-निर्धारण फार्मूले को युक्तिसंगत बनाया और एक विकास निधि की स्थापना की। विभिन्न उपायों के फलस्वरूप 1980–81 वर्ष में चीनी के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

तिलहनों के उत्पादन में यथेष्ट वृद्धि न होना चिन्ता का प्रमुख विषय रहा है। देश के लगभग 100 चुने हुए जिलों में तिलहनों के उत्पादन को गहन करने के अलावा 1981–82 के दौरान सोयाबीन और मूंगफली के विकास से संबंधित दो विशिष्ट परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति दी गई है। चुनी हुई सिंचाई परियोजनाओं के आयाकट में ग्रीष्मकाल-सिंचित मूंगफली की खेती का विस्तार करने के लिए भी एक वृहत् प्रयास किया जा रहा है। तिलहनों के उत्पादन को सुधारने के लिए विभिन्न अन्य उपाय भी किए जाएंगे।

अर्थव्यवस्था पुनरुद्धार के पथ पर अग्रसर है लेकिन हमें संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना चाहिए। विभिन्न वर्गों द्वारा ऊंचे मूल्यों और आयों की मांगों की वजह से मुद्रास्फीति के दबाव बढ़ने लगते हैं। ऐसी मांगों से निवेश और वृद्धि के लिए उपलब्ध साधनों में भी कमी आने लगती है। इन परिस्थितियों में, यह राष्ट्र के तथा समाज के सभी वर्गों के हित में होगा कि वे अधिक ऊंची आयों और कीमतों की मांग करते समय संयम से काम लें।

छठी योजना रिकार्ड समय में बनकर तैयार हो गई है। इससे विकास प्रक्रिया में गतिशीलता आई है। इस योजना में 97,500 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्यक्रमों की गति को तेज करने का प्रावधान किया गया है। योजना में वृद्धि और स्थायित्व में सामंजस्य स्थापित करने, आधुनिकीकरण की प्रवृत्तियों को सुदृढ़ करने, आत्म-निर्भरता प्राप्त करने, असमानता कम करने, रोजगार पैदा करने और गरीबी को उत्तरोत्तर कम करने की कोशिश की गई है।

नई पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों को इस प्रकार बनाया गया है कि वे इन लक्ष्यों की प्राप्ति में यथेष्ट रूप से सहायक हो सकें। सार्वजनिक क्षेत्र में, कोयला, ऊर्जा, सिंचाई और परिवहन जैसे बुनियादी संरचना वाले क्षेत्रों के लिए आवयश्क प्रावधान करने के अलावा, कृषि और ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है। योजना की अवधि के दौरान लगभग 1 करोड़ 40 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता जुटाई जाएगी। सामुदायिक वनरोपण पर उचित बल दिया जा रहा है। कुटीर, ग्रामीण और लघु उद्योगों के उचित विकास के लिए कार्यक्रमों पर काफी ध्यान दिया गया है। महिलाओं तथा सामाजिक रूप से दलित और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था की गई है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन से संबंधित कार्यक्रमों की रफ्तार को कारगर तरीके से बढ़ाया जाए। देहाती इलाकों में स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के कार्यक्रम में तेजी लाई जाएगी।

समदृष्टि पर आधारित विकास के लिए अपनी वचनबद्धता का ध्यान रखते हुए केन्द्रीय सरकार अनुसूचित जातियों के लिए विशेष योजना को पहली बार सहायता प्रदान कर रही है आदिवासी उप-योजनाओं के लिए भी सहायता की मात्रा बढ़ा दी गई है। गरीब लोगों को प्रत्यक्ष उत्पादक लाभ प्रदान करने वाले कार्यक्रमों को शुरू किया जा रहा है जिनमें परि-सम्पत्तियों का हस्तांतरण, निविष्टियों, ऋण, प्रशिक्षण और सेवाओं का प्रावधान, और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के जरिये मजदूरी वाले रोजगार पैदा करना शामिल है।

विश्व के ऊर्जा संकट को देखते हुए अपने देश के ही स्रोतों पर अधिक आत्म-निर्भर रहने की जरूरत बहुत बढ़ गई है। तेल की खोज के लिए एक जोरदार कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें तटवर्ती और अप-तटवर्ती, दोनों ही इलाके शामिल होंगे। कोयला और परमाणु ऊर्जा जैसे अन्य परम्परागत स्रोतों का दोहन करने में भी तेजी लाई जाएगी।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा सूर्य, ज्वार-भाटा और पवन जैसे अन्य नए ऊर्जा स्रोतों को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए, सरकार ने नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए एक आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। सरकार एक दीर्घकालिक ऊर्जा नीति तैयार करने के लिए भी कदम उठा रही है जिससे अपव्यय समाप्त हो, ऊर्जा की खपत नियंत्रित हो, ऊर्जा के विविध स्रोत प्राप्त हों और तेल तथा अन्य ऊर्जा स्रोतों के अन्वेषण के कार्य में तेजी आए। सरकार तेल की खपत में किफायत करने के उपाय भी करेगी।

भविष्य में हमारे आर्थिक विकास के लिए समुद्री साधनों के इष्टतम उपयोग के महत्व के प्रति सरकार सचेत है। महासागर के विशाल साधनों का दोहन करने के लिए बहुमुखी प्रयास अपेक्षित हैं, इसलिए उपयुक्त संस्थान-संबंधी व्यवस्थाओं का आकलन किया जा रहा है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, गत वर्ष जुलाई में श्रीहरिकोटा से एस० एल० वी-3 को सफलतापूर्वक छोड़कर देश ने बाह्य अंतरिक्ष के शान्तिपूर्ण उपयोगों की दिशा में एक महत्वपूर्ण मंजिल तय की। 35 किलोग्राम का रोहिणी उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा गया। 1982 के प्रारम्भ में भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह का अन्तरिक्ष में छोड़ा जाना एक और महत्वपूर्ण कदम होगा। इस प्रचालन उपग्रह के उपयोग के लिए भूमि पर यंत्र-तंत्र व्यवस्था को तैयार रखने के लिए बखूबी प्रबंध किए जा रहे हैं। 1980–90 के लिए अंतरिक्ष-रूपरेखा को स्वीकृति दे दी गई है।

सरकार पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पूर्णतया वचनबद्ध है। एक पर्यावरण विभाग बना दिया गया है। हाल ही में पारित एक अधिनियम का पूरा उपयोग करके, अंधाधुंध कटाई आदि से वनों की रक्षा करने की कोशिश की जा रही है।

देश के सीमांत क्षेत्रों को इंडियन एयर लाइन्स के प्रमुख मार्गों से जोड़ने के लिए, सरकार ने फीडर विमान सेवाएं चलाने के लिए "वायुदूत" की स्थापना की है। यह कम्पनी प्रारम्भ में पश्चिम बंगाल तथा उत्तरपूर्वी राज्यों और राज्यक्षेत्रों में विमान सेवाएं चलायेगी। उसने 26 जनवरी, 1981 से ये सेवाएं चलानी शुरु कर दीं।

1981 का वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष है। सरकार ने इसे मनाने के लिए कार्यक्रम की योजना तैयार कर ली है। इससे विकलांगों की समस्याओं के प्रति अधिक जागरूकता पैदा

होगी और समाज के लिए अधिक उपयोगी बनने में उन्हें सहायता मिलेगी। यह भी सोचा जा रहा है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाओं का विस्तार किया जाए और उनकी चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास और रोजगार के लिए उपाय किए जाएं।

सुव्यवस्थित वातावरण में ही आर्थिक वृद्धि और सामाजिक विकास संभव है। सांप्रदायिक वैमनस्य, जाप-पात के झगड़ों, उग्रपंथियों की गतिविधियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर अत्याचारों और विभिन्न निहित स्वार्थों वाले दलों द्वारा भिन्न-भिन्न मुद्दों को लेकर आन्दोलन छेड़ने की सामान्य प्रवृत्ति की वजह से स्थिति काफी बिगड़ गई थी। पृथकतावादी गतिविधियों और क्षेत्रीय आन्दोलनों ने भी देश के कुछ भागों में स्थिति को बहुत बिगाड़ दिया है। इन सब की वजह से लोगों को परेशानी हुई है और देश को आर्थिक नुकसान हुआ है।

इसलिए पिछले वर्ष के दौरान समस्त देश में अराजकता पर काबू पाने और शान्ति स्थापित करने के लिए सरकार ने कई प्रशासनिक और कानूनी कदम उठाए। राष्ट्रीय एकता परिषद् को पुनः सक्रिय कर दिया गया है। हाल में कुछ समय से कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार दिखाई देने लगा है। उम्मीद है कि जीवन के सभी क्षेत्रों के नागरिकों और सभी राजनीतिक दलों के सहयोग से स्थिति में निरन्तर सुधार होगा।

असम में "विदेशियों" की समस्या का शीघ्र हल खोजने के लिए सरकार ने अत्यंत सहनशीलता से काम लिया है और विभिन्न स्तरों पर गंभीर प्रयास किए हैं। आन्दोलनकारी संगठनों, अल्पसंख्यकों तथा आदिवासियों के प्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ, अखिल भारतीय स्तर और राज्य स्तर पर कई बार विचार-विमर्श किया गया है। बड़े खेद की बात है कि सरकार के समझौताकारी और रचनात्मक प्रयासों के बावजूद आन्दोलन को समाप्त नहीं किया गया है। बहरहाल सरकार ऐसा हल खोजने की कोशिश करती रहेगी जो सभी संबंधित पक्षों को मान्य हो।

माननीय सदस्यगण, मैं अब दूसरे देशों के साथ अपने देश के संबंधों की चर्चा करूंगा। अस्सी के दशक में प्रवेश करते हुए, हम आशंकित है कि बड़ी ताकतों के बीच तनाव कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया में हुई घटनाओं और हिन्द महासागर में बड़ी ताकतों की बढ़ती हुई सैनिक गतिविधियों ने हमारे सुरक्षा पर्यावरण पर गंभीर असर डाला है। सरकार सहनशीलता और सौहार्द की शक्तियों को सुदृढ़ करने की कोशिशें जारी रखने के लिए कृतसंकल्प है। शान्ति में भारत की आस्था, उसके लोकाचार और परम्पराओं में मूलबद्ध होने के अलावा, इस प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित है कि जिन मूल तत्वों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का निर्माण हो, वे सैन्य बल के बजाय तर्क से, और आर्थिक जोड़-तोड़ के बजाय निष्पक्ष व्यवहार से प्रेरित हों। इस लोकाचार के अनुरूप सरकार तनावों को ढीला करने और ऐसे हालात पैदा करने के लिए कार्य करती रहेगी जिनमें इन्सान शान्ति और खुशहाली से रह सके।

हाल में नई दिल्ली में गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन करके हमको खुशी हुई। बैठक में गुट-निरपेक्षता की नीति की सार्थकता की पुनः पुष्टि की गई,

तथा इस आन्दोलन की एकता और अखंडता को, जिसमें हमारी गहरी आस्था है, मजबूत किया गया। इस बैठक के निष्कर्षों से तथा प्रथम शिखर सम्मेलन की 20वीं जयन्ती के रूप में आयोजित विशेष अधिवेशन में जारी की गई नई दिल्ली अपील से यह साबित हुआ कि गुट-निरपेक्ष देश विश्व की शान्ति और प्रगति में सकारात्मक योगदान करने के लिए सदैव कृतसंकल्प हैं। इस सम्मेलन में न केवल उन कतिपय बुनियादी सिद्धान्तों को दोहराया गया जो देशों के बीच संबंधों पर लागू होने चाहिए, बल्कि उसने पुनः इस बात पर जोर दिया कि वह किसी भी देश के आन्तरिक मामलों में किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ है। हमें इस पर खुशी हुई कि सम्मेलन की अंतिम घोषणा में हिन्द महासागर में "शान्ति का क्षेत्र" स्थापित करने की मांग को दोहराया गया, जिससे कि सागर-तटवर्ती देशों द्वारा लगभग दस वर्ष पहले की गई मांग का समर्थन हुआ।

ईरान और ईराक के साथ हमारे देश के संबंध अत्यंत मैत्रीपूर्ण हैं। उन दोनों के बीच चल रहा संघर्ष हमारे लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है। हमने ऐसी सभी प्रक्रियाओं में भाग लिया है और उनका समर्थन किया है जो दोनों देशों के लिए सम्मानजनक हल हासिल करा सकती है। शान्ति और गुट-निरपेक्षता के महान लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सरकार का इन कोशिशों को जारी रखने का इरादा है।

सोवियत संघ के साथ उच्चतम स्तर पर यात्राओं के आदान-प्रदान से हमारी चिर-परीक्षित मैत्री और भी मजबूत हुई है। अन्य पूर्व यूरोपीय देशों के साथ भी हमारे संबंधों की मात्रा और विविधता में वृद्धि हुई है। इन संबंधों का जो स्वरूप उभर रहा है उससे शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्तों में हमारे विश्वास की पुष्टि होती है। इससे हमारे इस विश्वास को बल मिलता है कि भिन्न-भिन्न सामाजिक-राजनीतिक प्रणालियों और विचारधाराओं वाले देश भी यदि परस्पर सहयोग करें तो वे अंतर्राष्ट्रीय शान्ति और स्थायित्व ला सकते हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका और हमारा देश समान मूल्यों और आदर्शों में विश्वास करते हैं। हमारी यह कोशिश होगी कि हम दोनों देशों के बीच मौजूदा बहुमुखी मैत्री मजबूत हो। पश्चिम यूरोप के देशों के साथ हितों की नई पारस्परिकता उत्पन्न होने से हम प्रसन्न है और हमें उम्मीद है कि सभी क्षेत्रों में हमारे संबंधों में विस्तार होगा।

गत वर्ष सितम्बर में एशियाई और प्रशान्त महासागरीय राष्टमंडल देशों के शासनाध्यक्षों का स्वागत करते हुए भारत की सरकार और उसकी जनता को बड़ी खुशी हुई। हमने उनके साथ उन मुद्दों पर सार्थक विचार-विमर्श किया जो हम सभी के लिए महत्व के हैं।

ऐतिहासिक और भौगोलिक अनिवार्यताओं के अनुरूप, अपने पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध पारस्परिक विश्वास, लाभ तथा एक दूसरे के प्रति अच्छे पड़ोसियों की भावना से विकसित होते रहे हैं। सरकार कृतसंकल्प है कि इन संबंधों को समानता, आदान-प्रदान और आपसी लाभ के आधार पर आगे भी विकसित और मजबूत किया जाए ताकि इस उप-महाद्वीप के लोग शान्ति और मेलमिलाप से रहे सकें।

हमने अपनी तरफ से यह बात काफी साफ कर दी है कि हम पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए कृत-

संकल्प हैं जो शिमला समझौते के साथ शुरू हुई थी। हमें इसकी पूरी आशा है कि हमारा पड़ोसी देश भी इस मार्ग का अनुसरण करने की राजनीतिक इच्छा जाहिर करेगा तथा आपसी समझ-बूझ और आदान-प्रदान की भावना और द्विपक्षीय रूप से मतभेदों को सुलझाने की स्वस्थ प्रवृत्ति को जारी रखेगा।

यह बात बार-बार साफ की गई है कि हम चीन के साथ अपने संबंधों को और सामान्य बनाने तथा सभी अवशिष्ट समस्याओं पर विचार विमर्श करने के इच्छुक हैं। हम आशा करते हैं कि चीन यह साबित करेगा कि वह भी ऐसा करने का इच्छुक है।

हमने फिलिस्तीन के लोगों के अनपहार्य अधिकारों की प्राप्ति के लिए उनके न्यायोचित संघर्ष का हमेशा समर्थन किया है। श्री यासर अराफात की भारत यात्रा और नई दिल्ली स्थित फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (पी० एल० ओ०) के मिशन को भारत द्वारा पूर्ण राजनयिक दर्जा दिया जाना उसी समर्थन की कड़ी है।

दक्षिण अफ्रीका के स्वाधीनता संग्राम के सेनानी श्री नेल्सन मंडेला को अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द के लिए 1979 के जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से विभूषित करना इस बात का द्योतक है कि दक्षिण अफ्रीकी जनता के आन्दोलन में भारत की गहरी आस्था है। जिम्बाब्वे के लोगों को आजादी मिलने से हमें बड़ी खुशी हुई। नामीबिया के स्वतंत्रता अन्दोलन का हम सदैव समर्थन करते रहेंगे। अन्य अफ्रीकी देशों के साथ हमारे संबंध घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण हैं।

मेक्सिको के राष्ट्रीयपति की हाल की यात्रा से लैटिन अमरीका के साथ हमारे संबंधों में एक नया आयाम जुड़ा है। हमारी यह कोशिश है लैटिन और दक्षिणी अमरीका के लोगों के साथ हम सौहार्द और सहयोग के संबंध बढ़ाते रहें।

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई है। द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विकास दशक से संबंधित विचार-विमर्श विफल रहे और एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने का भविष्य उज्जवल नजर नहीं आता। साधनों और तकनीकों की उपलभ्यता के मामले में विकासशील देश भारी दुर्दशा से ग्रस्त हैं। सहयोग और पारस्परिक आदान-प्रदान द्वारा ही सबके लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है।

माननीय सदस्यगण, मैंने जो रूपरेखा प्रस्तुत की है उससे यह स्पष्ट है कि देश आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में कठिनतम दौर को पार कर चुका है। बिगड़ी हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को काफी हद तक सुधारा जा चुका है, कृषि उत्पादन के रिकार्ड स्तर तक पहुंचाने की आशा है तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। प्रयास में एकता हो तो न्यायपूर्ण सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के निर्माण की ओर निरन्तर प्रगति करते रहने की विराट संभावनाएं हैं। हमारे जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश में दृष्टिकोणा में अन्तर तो हमेशा रहेगा। राष्ट्रव्यापी प्रयास के इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उद्देश्य की अभिन्नता के लिए प्रयत्नशील रहें, भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों के बीच आदान-प्रदान की भावना से सामंजस्य स्थापित करें और अपनी शक्ति को व्यर्थ के वाद-विवादों में नष्ट न करें।

वर्तमान सत्र में, बकाया कार्य निबटाने के साथ-साथ आपको अनेक नए विधायी कार्यों पर भी विचार करना होगा। इनमें एक तो हैं निर्यात-आयात बैंक विधेयक, 1981 और दूसरा

है संविधान संशोधन विधेयक, 1981 जिसका प्रयोजन संविधान में "वस्तुओं के क्रय और विक्रय पर कर" को पुनः परिभाषित करना है।

सदन के सभी वर्गों से मेरा अनुरोध है कि जनता के हितों की पूर्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, वे देश के सामने बहुत जरूरी और दायित्वपूर्ण काम हैं उनमें सहयोग की भावना से जुट जाएं। मेरी कामना है कि आपके प्रयास सफल हों।

जय हिन्द।

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : हम आज सात सप्ताह के अंतराल के बाद मिल रहे हैं, मैं चार भूतपूर्व संसद सदस्यों, अर्थात् सर्वश्री झंकरराव तेलकीकर, जी० के० सिंहा, सरदार मोहम्मद लतीफुर रहमान, श्री तारा गोविन्द सप्रे और एक भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री मोहम्मद करीम छागला के निधन की दुखद सूचना सभा को देता हूं।

श्री झंकरराव तेलकीकर 1952–57 के दौरान पहली लोक सभा के महाराष्ट्र के नांडेड़ निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। वह पुराने स्वतंत्रता सेनानी थे तथा उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और जेल भी गये।

वह एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह 1923–26 के दौरान आर्य समाज के प्रधान रहे।

उनका 2 दिसम्बर, 1980 को नांडड़ में 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ।

श्री जी० के० सिंहा, 1962–67 के दौरान पश्चिम बंगाल के मिदनापुर निर्वाचन क्षेत्र से तीसरी लोक सभा के सदस्य रहें।

एक पुराने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने 1921 के अहिंसक असहयोग आन्दोलन में भाग लिया तथा जेल भी गये।

वह सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के नाते बहुत सी शैक्षणिक तथा सहकारी संस्थाओं से संबद्ध थे।

उनका 21 दिसम्बर, 1980 को गारबेटा में 80 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ।

सरदार मोहम्मद लतीफुर रहमान 1946–50 के दौरान बिहार से संविधान सभा के सदस्य थे।

वह बहुत वर्षों तक बिहार विधान सभा के सदस्य रहे।

एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने असहयोग तथा खिलाफत आन्दोलनों में भाग लिया।

एक प्रसिद्ध सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उनका बहुत सी सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाओं से संबंध था । उन्होंने भूदान आन्दोलन में भी भाग लिया।

उनका 31 दिसम्बर, 1980 को 80 वर्ष की आयु में गया में निधन हुआ ।

श्रीमती तारा गोविन्द सप्रे 1967–70 के दौरान महाराष्ट्र के बम्बई उत्तर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से चौथी लोक सभा की सदस्य थीं ।

एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वह अखिल भारतीय महिला संगठन की सदस्या थीं ।

उनका निधन 62 वर्ष की आयु में पूणे में 14 जनवरी, 1981 को हुआ।

श्री मोहम्मद करीम छागला 1963–66 में शिक्षा मंत्री तथा 1966–67 के दौरान विदेश मंत्री रहे । उनका निधन 9 फरवरी, 1981 को बम्बई में 80 वर्ष की आयु में हुआ ।

श्री छागला ने बैरिस्टर के रूप में अपना कार्य शुरू किया तथा वह बम्बई उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे तथा वह इस पद पर 1947 से 1958 तक रहे । वह एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे तथा उन्होंने बहुत से ग्रन्थ प्रकाशित किये तथा 1948 में विधि शिक्षा समिति के अध्यक्ष रहे । उन्होंने बहुत से रूपों में देश सेवा की तथा अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते रहे । 1957–1960 के दौरान वह हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त हुए। वह संयुक्त राज्य अमरीका, मैक्सिको और क्यूबा में 1958–61 तक भारत के राजदूत रहें । उन्होंने ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त और आयरलैंड में राजदूत के रूप में 1962 से 1963 तक कार्य किया। वह फरवरी 1964 में तथा पुन: अप्रैल 1966 में राज्य सभा के सदस्य चुने गये । वह 1964 से 1967 तक राज्य सभा में सदन के नेता भी रहे ।

वह एक नम्रभाषी विद्वान व्यक्ति थे । उनके निधन से देश ने एक प्रसिद्ध सार्वजनिक नेता एवं विख्यात संसदविद् खो दिया है।

इन मित्रों के निधन पर हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मुझे विश्वास है कि दिवंगत आत्माओं के परिवारों को शोक सन्देश भेजने में आप मेरे साथ हैं।

सदस्य अब कुछ समय के लिए मौन खड़े होंगे ।

सदस्यगण कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े हुए ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

संसदीय कार्य और निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति—

(एक) राष्ट्रपति द्वारा 12 जनवरी, 1981 को प्रख्यापित विशेष वाहक बन्धपत्र (उन्मक्ति और छूट) अध्यादेश, 1981 (1981 का संख्या 1)।

(दो) राष्ट्रपति द्वारा 21 जनवरी, 1981 को प्रख्यापित दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (1981 का संख्या 2)।

(तीन) राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी, 1981 को प्रख्यापित जीवन बीमा निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (1981 का संख्या 3)।

(2) (एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1979–80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे ।

(दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1979–80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फर नगर) : महोदय मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । मैंने यह सूचना दी थी कि मैं चाहता हूं..... **(व्यवधान)** ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर विचार किया जायेगा । **(व्यवधान)**

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, हम लोगों ने एडजर्नमेंट मोशन दिया है तथाकथित किसान रैली के सम्बन्ध में और अहमदाबाद में हरिजनों के ऊपर जो गोली चल रही है ।

अध्यक्ष महोदय : आज कुछ नहीं होगा । इस बारे में कल बताया जायेगा ।

श्री राम विलास पासवान : एम० पी० लोग यहां नहीं पहुंच रहे हैं । सारी की सारी मशीनरी लगी हुई है तथाकथित किसान सम्मेलन में.... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप देखिए, आप क्या कर रहे हैं । **(व्यवधान)** (रेकार्ड नहीं होगा) कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा **(व्यवधान)**** आप सुनते क्यों नहीं हैं ? मेरी बात सुन लीजिए । आप क्यों बोलते हैं ? आप सारे न बोलिए जब मैं बोल रहा हूं ।

यह मेरा काम है । नियमानुसार किसी भी दिन जिस दिन सभा की बैठक होती है कोई भी सदस्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दे सकता है । परन्तु फिर भी, सुदीर्घ परम्परा अनुसार राष्ट्रपति के अभिभाषण वाले दिन सभा की बैठक में स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर विचार नहीं किया जाता है । इन सूचनाओं को विलम्बित रखा गया है ...

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : आप कहां से पढ़ रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं पूर्वोदाहरणों और परम्पराओं की बात कर रहा हूं ।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियमानुसार नहीं चल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नियमानुसार तो नहीं, परन्तु हमारी कुछ परम्पराएं भी हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आपकी परम्पराओं पर नियमों को वरीयता प्रदान नहीं की जाती है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं ...

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप सुविधानुसार अपनी मर्जी से परम्पराओं को अपनाते हैं और अपनी सुविधानुसार उनका अनादर करते हैं। **(व्यवधान)** इससे मुश्किल से ही पीठ को कोई लाभ होता होगा।

अध्यक्ष महोदय : ज्योतिर्मय बसु जी कल हम इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नहीं, महोदय। स्थगन प्रस्तावों की सूचना कई महत्वपूर्ण मामलों पर दी गई है और आपको एक-एक करके उनको विचारार्थ लेना होगा।

अध्यक्ष महोदय : आज नहीं, कल हम एक-एक करके इन पर विचार करेंगे।

श्री ज्योतिमय बसु : अध्यक्ष महोदय को निष्पक्ष रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो एक दम से निष्पक्ष हूं। मैं तो जो कुछ हो चुका है या होता रहा है उसके अनुसार कह रहा हूं। प्रस्तावों के बारे में मैं कल निर्णय लूंगा। हम एक-एक करके उन पर कल विचार करेंगे। **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) **:** अध्यक्ष जी, अगर आप यह परम्परा कायम करना चाहते हैं कि जिस दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण हो उस दिन कोई स्थगन प्रस्ताव न लिया जाय तो एक परम्परा और जोड़िए कि उस दिन खाली राष्ट्रपति जी का भाषण सभा पटल पर रखा जाएगा और कोई कागज नहीं रखा जायगा।

अध्यक्ष महोदय : जो रखा है आज तक मैं उसी के अनुसार कर रहा हूं। न उसमें बढ़ा रहा हूं और न घटा रहा हूं। न मैंने घटाया और न बढ़ाया। जो 33 साल से आपने चलाया वही मैं कर रहा हूं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) **:** आज तक 33 साल में ऐसा नहीं हुआ कि एम० पी० को न आने दिया गया हो।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आपके पास आज के लिए कार्य सूची है और स्थगन प्रस्ताव में यह बात कही गई है कि उन कार्य मदों को स्थगित किया जाए तो क्यों न इस मामले पर प्रथमतः विचार किया जाना चाहिए। इसी आशय का तो स्थगन प्रस्ताव है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : : हम उस पर कल विचार करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अतः पूरी ईमानदारी से आप विषय पढ़कर सुना दें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पढ़कर सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं है । **(व्यवधान)**

श्री धनिक लाल मंडल (झंझीरपुर) : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बैज (बिल्ला) लगाकर सदन में आए हैं । क्या यह उचित है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री जार्ज फर्नान्डीस और श्री राम विलास पासवान ने गत सत्रावसान अवधि के दौरान जारी किए गये अध्यादेशों के बारे में मुद्दे उठाने हेतु सूचनाएं भेजी हैं । मैं उन्हें संक्षिप्त टिप्पणियां करने की अनुमति दूंगा ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : क्या सदस्यों को सदन में बैज लगाने की अनुमति है ? इस पर पहले का एक विनिर्णय दिया हुआ है कि कोई भी सदस्य बैज न लगाए । मैंने इसे प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में देखा है । परन्तु दुर्भाग्य से सत्ताधारी दल के सदस्य प्रधान मंत्री का बैज लगाकर सदन में आ गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मामले पर विचार करूंगा ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं उनके प्रति किसी प्रकार का अनादर प्रकट नहीं करना चाहता हूं । परन्तु इस सब की अनुमति नहीं है । मुझे आपका विनिर्णय चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार के बैज सदन में लगाए जाएं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या यहां पर कोई सदस्य बैज लगाए हुए हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमति इन्दिरा गांधी) : किसी नियम को हमारे द्वारा उल्लंघन करने का प्रश्न ही नहीं उठता । यदि ऐसा कोई नियम है तो हमें उसका पालन करना चाहिये । हम उसकी उपेक्षा करना नहीं चाहते हैं । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : परम्परा तो यह भी है कि सदन में इस प्रकार का बैज नहीं लगाया जाना चाहिये **(व्यवधान)** यह इस सदन की परम्परा है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं यह नहीं जानती कि यह परम्परा कब कायम हुई क्योंकि जब विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने यह कह कर एक बैज लगाया था कि वह सी०आई० ए० एजेन्ट है तो विपक्ष के किसी सदस्य ने उसका विरोध नहीं किया और नही उसको हटाने के लिए कहा । **(व्यवधान)**

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उस समय हाउस से बाहर चले गये थे, श्री पीलू मोदी । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ बातों का हवाला दे रहा हूं । यह एक संसदीय शिष्टाचार है । **(व्यवधान)**

सदस्य-निर्देशिका के पृष्ठ पर 87 पर संसदीय शिष्टाचार के अन्तर्गत इसका उल्लेख किया गया है :

"सदस्यों को सभा में कोई बैज धारण नहीं करना चाहिये"

श्री रामावतार शास्त्री : : प्रधान मंत्री जी ने जो कहा कि किसी ने ओबजेक्ट नहीं किया, यह गलत बात है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: : हम इस बात पर विचार करेंगे कि वैज क्या होता है । (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : : आपके निर्देशन 2 के अधीन मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पुस्तिका को सही ढंग से "पर्ची लगाकर आपके सामने रखा रहना चाहिये । प्रश्न यह है कि आपने एक पत्र सभा पटल पर रखने के मामले के बारे में श्री बाजपेयी का नाम पुकारा था । आपके निर्देशन में कहा गया है कि इस्पात के मूल्य में हुई 20 प्रतिशत वृद्धि और कोयले के दामो में हुई 20 रुपये प्रति टन की वृद्धि के ऊपर स्थगन प्रस्ताव का विलम्बन (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बार फिर परम्पराओं से ही कुछ शब्द उदृत करना चाहता हूं :

> "परम्परा यह रही है कि जिस दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है उस दिन स्थगन प्रस्तावों को नहीं लिया जाता । उस दिन के लिए प्राप्त सूचनाओं को अगले दिन की वैठक के लिएं प्राप्त सूचनाएं मान लिया जाता है ।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को तो समझते होंगे तथा अनभव भी करते होंगे कि परम्परायें लिखित नियमों का अतिक्रमण नहीं कर सकती । यदि उसमें किसी प्रकार की असंगति है, तो उसे वदलने के लिए आपको नियम समिति को कहना चाहिये था क्योंकि स्थगन प्रस्तावों को अन्य किसी मामले से प्राथमिकता दी जानी चाहिये । लोगों के हितों की अलहेलना कर के किसान रेली. . . (**व्यवधान**)

सभा पटल पर रखं जाने वाले कुछ अध्यादेशों के बारे में

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, संसद-कार्य मंत्री सदन के पटल पर उन अध्यादेशों की प्रतियां रखने जा रहे हैं . . . (**व्यवधान**) रख दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : : आप इस पर आपत्ति कर सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह कार्यवाही नियमों के खिलाफ है । हम उनके सभा पटल पर रखने पर आपत्ति करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : : आपको इसके विपक्ष में बोलना है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : (उदीपी) : हमने सूचना दी है कि हम इन प्रपत्रों को सभा पटल पर रखने पर आपत्ति उठाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : : आप आपत्ति उठाइये । फिर मैं उस पर टिप्पणी करूंगा ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : : हमारी सूचना इस प्रकार से प्रपत्रों को सभा पटल पर रखने के बारे में है । हम यह मानते हैं कि प्रपत्र सभा पटल पर नहीं रखे गये हैं । क्या हमारा यह मानना ठीक है कि प्रपत्र सभा पटल पर नहीं रखा गया है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : : अध्यक्ष महोदय, जब संसद का अधिवेशन होता है, तो, सत्रावासन के दौरान जो अध्यादेश जारी किये जाते हैं, हमारे सामने उनका मामला आता

है । लोक सभा के पिछले सत्र में भी यह प्रश्न उठाया गया था । आपने स्वयं कहा था कि इस तरह से अध्यादेश जारी करना ठीक नहीं है । विधान मंडलों के अध्यक्षों की बैठक में आपके भाषण की जो रिपोर्ट समाचारपत्रों में छपी है, उसमें भी आपने इस बात को दोहराया कि सरकार आर्डिनेंस के जरिये राज्य करने की जिस प्रक्रिया का विकास कर रही है, वह प्रक्रिया संसद की गरिमा और उसकी प्रभुसत्ता को बलशाली बनाने वाली नहीं है ।

यह बड़ी विचित्र बात है कि 9 तारीख को समन इश्यु हुआ और इस समय जो तीन अध्यादेश सभा पटल पर रखे जाने वाले हैं, वे तीनों अध्यादेश समन इश्यु होने के बाद जारी किये गये—एक 12 जनवरी को, दूसरा 21 जनवरी को और तीसरा 31 जनवरी को इनमें से कोई अध्यादेश ऐसा नहीं है, जिसको संसद की बैठक के लिए रोका नहीं जा सकता था ।

इनमें एक अध्यादेश गुरुद्वारों के बारे में है । केवल एक व्यक्ति के चुनाव को सरल बनाने के लिए, सम्भव बनाने के लिए, यह अध्यादेश जारी किया गया था । क्या यह अध्यादेश जारी करने के अधिकार का दुरुपयोग नहीं है ?

जहां तक बांड्ज का सवाल है, संसद के अधिवेशन के प्रारम्भ होने के दिन 5 बजे या 6 बजे, जब तक सदन की बैठक होती है, मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में ऐलान कर सकते थे । यह काले धन को सफेद करने की चेष्ठा की जा रही है । मेरे मित्र, श्री वसंत साठे, यहां बैठे हुए हैं । पब्लिक एकाउन्टस-कमेटी की 123 वीं रिपोर्ट में श्री वसंत साठे....

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : वह गुण-दोषों की बात कर रहे हैं । वह इस समय केवल उन्हें सभा पटल पर रखने पर आपत्ति उठा सकते हैं, उनके गुण-दोषों पर चर्चा नहीं कर सकते ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : : पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की जो 123वीं रिपोर्ट है श्री वसंत साठे उस के भागीदार हैं, उस में उन के हस्ताक्षर हैं कि इस तरह से काले धन को सफद बनाने के तरीके नहीं अपनाये जाने चाहिए । लेकिन वे तरीके अपनाये जा रहे हैं ।

एल०आई०सी०के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ताक पर रखने के लिए और कर्मचारियों के साथ किये गए समझौते को भंग करने के लिए अध्यादेश जारी किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, आप जो बात बाहर कहते हैं और जो सदन में कहते हैं उस को जरा सरकार से मनवाने की कोशिश कीजिए । मैं बाहर की रैली की बात नहीं कर रहा हूं मगर यह जो आर्डिनेंसेज का रेला चल रहा है यह आपत्तिजनक है ।

श्री जार्जफर्नाडीस : मैं अपनी चर्चा में केवल काले धन सम्बन्धी अध्यादेश का ही उल्लेख करना चाहता हूं । मैं इस सम्बन्ध में कुछ संवैधानिक मुद्दे उठाना चाहता हूं क्योंकि मेरे विचारानुसार केवल यही प्रश्न नहीं है कि अध्यादेश किस समय जारी किया गया अपितु आधारभूत प्रश्न तो यह है कि क्या सरकार इस प्रकार का अध्यादेश जारी कर सकती है क्योंकि ऐसा करना मुख्यता संविधान के विरुद्ध है । . . . (**व्यवधान**) अतः मेरा प्रश्न यह है कि किसी भी गैर संवैधानिक दस्तावेज को सरकार के मंत्री द्वारा सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता ।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : संविधान के अन्तर्गत . . . (**व्यवधान**) . . मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुझे सुनिये ।

हम सभी ने संविधान की अनुसूची तीन के अन्तर्गत शपथ ली हुई है । यदि सदन को दूसरी ओर बैठे हुये सदस्यगण अपनी शपथ को भूल गये हैं, तो मैं उन्हें पुन: याद करवाना चाहता हूं । संविधान के सम्मान करने की शपथ सभी न ली हुई है । . . (**व्यवधान**) सदन की कार्यवाही संविधान के आधार पर चलाई जाती है और यदि संविधान का खुलेआम उल्लघंन किया गया है और कोई कानून किसी ऐसे अध्यादेश के माध्यम से ही बनाया गया है, जो मुख्य रूप से गैर-संवैधानिक है, तो उस कानून को जैसे कि गैर-संवैधानिक ढंग से बनाया गया है, सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : यह सभा पटल के समक्ष ही आयेगा ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं इस सम्बन्ध में तीन संवैधानिक मुद्दे उठाना चाहता हूं । प्रथम अध्यादेश को लागू किया जाना ही . . .

श्री सी० एम० स्टीफन : वह गुण-दोषों की चर्चा कर रहे है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं इसके गुणयन-गुणों की चर्चा नहीं कर रहा हूं । . . . (**व्यवधान**)

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं व्यवस्था का प्रश्न पहले उठा चुका हूं । व्यवस्था के प्रश्न व्यवस्था पर कैसे व्यवस्था का प्रश्न हो सकता है ? संविधान के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : क्या इनका व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैंने इस संविधान के अन्तर्गत शपथ ली है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : क्या इनका व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैंने इस संविधान का पालन करने की शपथ ली है और यदि सरकार संविधान का उल्लघंन करे, तो मैं सभा को बताऊंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे व्यवस्था के प्रश्न को सुनना है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मेरा व्यवस्था का प्रश्न संविधान सम्बन्धी है । सभा के सामने कोई भी प्रस्ताव नहीं है । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं व्यवस्था के प्रश्न पर अनुरोध कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप अनुरोध कर रहे हैं । इनका व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर अनुरोध कर रहा हूं । मैं संविधान के अतर्गन्त व्यवस्था के प्रश्न पर इन पत्रों को सभा पटल पर रखने का विरोध कर रहा हूं ।

श्री सी० एम० स्टीफन : इन्हें बोलने दीजिए ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : धन्यवाद । इसके लिए कुछ समय लगता है । श्री स्टीफन समझते हैं कि इसके लिए समय लगता है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप इन पत्रों को सभा पटल पर रखने के विरुद्ध दिए गए तर्क तक ही सीमित रखें ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : आप परम्परा का ध्यान कीजिए, केबिनेट मंत्री व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाते ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उठाते हुये देखा है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मेरा पहला प्रश्न अनुच्छेद 292 के अन्तर्गत है ।

"भारत की संचित निधि की प्रतिपूर्ति पर ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो, जिन्हें संसद समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, उधार लेंने तक तथा ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हो, जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाय, प्रत्याभूति देने तक, संघ की कार्यपालिका शक्ति विस्तृत है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : आप किस बात पर चर्चा कर रहे हैं . . . (**व्यवधान**) . जब तक मामला सभा पटल पर न हो तो उस समय तक आप क्या चर्चा करेंगे ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं इस व्यक्ति द्वारा भयभीत नहीं किया जा सकता । ये हमेशा सभा को भयभीत करने का प्रयत्न करते हैं । इन्हें भयभीत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज आप अपने को. . .

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिणी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

ये अब भी बैज पहने है. . . (**व्यवधान**) . .

अध्यक्ष महोदय : वे शायद इस बारे में न जानते हों।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इन्हे अपने स्थान पर खड़ा होने तक अपना बैज दिखाने के लिए कहा जाये . . (**व्यवधान**) . .

अध्यक्ष महोदय : इन्हों ने इसे हटा दिया है।

माननीय सदस्य बैजों को हटा दें । आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं ? ऐसा नहीं किया जाना चाहिये । आपको कोई भी बैंज नहीं पहनने चाहिये ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : (मारमागाओ) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । दो वर्ष पहले अथवा उसके आसपास भी एक किसान रैली हुई थी । उस समय में वहां बैठा था और श्री मनीराम वागड़ी बैज के साथ आये थे . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब हम कह चुके हैं कि परम्परा तथा शिष्टाचार को ध्यान में रखते हुये . . .

श्री एडुआर्डो फैलीरो : लेकिन परम्परा का हमेशा पालन नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : इसका जिक्र पुस्तिका में है । इसका पालन सभी सदस्यों को करना चाहिये ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : हमारे पैमाने दो नहीं होने चाहिये . . (व्यवधान) .

श्री मनीराम बागड़ी : (हिसार) : अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य ने मेरा जिक्र किया है ।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने कोई भी बात नहीं उठायी । मैंने सुना नहीं ।

श्री मनीराम बागड़ी : उन्होंने मेरे बारे में कहा है . . . ..

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री मनीराम बागड़ी : उन्होंने कहा था कि मनीराम बागड़ी किसान रैली के समय पर यहां बैज लगाकर आये थे ।

अध्यक्ष महोदय : वह तो पुरानी बात है । . . (व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : अध्यक्ष महोदय, आपके बार बार कहने के बावजूद यहां पर कुछ समय बैज लगाये हुये हैं—इससे बड़ी अवमानना की बात और क्या हो सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : किसी भी सदस्य को बैज नहीं पहनना चाहिये ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) "बैज" में गुलाब भी शामिल है ?

अध्यक्ष महोदय : कहिये तो आपके पास भेज दूं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मेरा पहला प्रश्न यह है कि संघ की शक्तियां अनुच्छेद 292 के अन्तर्गत सीमित हैं । इसके द्वारा ऋण द्वारा राशि जुटाने पर एक निश्चित प्रतिबन्ध लगा है । संविधान का यह अनुछेद, अनुच्छेद 292 बिल्कुल निश्चयात्मक है और जब सरकार ने एक बार इन बांडों 'काला धन बांडों' के बारे में निर्णय कर लिया है तो इन बांडों के अन्तर्गत जिन्हें 'कालाधन, बांड, 1981' कहा जाता है, ली जाने वाली कुल धनराशि पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लग सकता है । दूसरे शब्दों में, आप आज सरकार को एक ऐसे ऋण प्रभार के प्रतिबद्ध कर रहे हैं जिसके बारे में आप स्वयं भी स्पष्ट रूप से नहीं जानते । अनुच्छेद 292 में यह अपेक्षित है कि आपको ऋणों की कुल राशि के बारे में बिलकुल स्पष्ट करना चाहिये, बिल्कुल निश्चित करना चाहिये जो आप लेना चाहते हैं । आपको ऋण लेने का अधिकार है, लेकिन आपको उस धनराशि के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से ज्ञात होना चाहिये । जो आप लेने जा रहे हैं । आपको इस बारे में स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, आप इस बारे में अनिश्चयात्मक हैं। इस लिए, यह संविधान के अनुच्छेद 292 का स्पष्टतः उल्लंघन है ।

जो दूसरा मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं वह संविधान के अनुच्छेद 270 के अन्तर्गत है । अनुच्छेद 270 का सम्बन्ध करों से है; इसमें लिखा है :

> "कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर भारत सरकार द्वारा कर लगाया और वसूल किया जायेगा और खण्ड (2) में दिए गए तरीके से संघ और राज्यों के बीच उसका वितरण किया जायेगा ।"

मैं खण्ड (2) नहीं पढ़ूंगा क्योंकि उसे पढ़ना मेरे लिए आवश्यक नहीं है । यद्यपि यह महत्वपूर्ण है । तथापि, मुद्दा यह है कि भारत सरकार द्वारा वसूल की जाने वाली आय कर की राशि का राज्यों के साथ हिस्सा बंटाया जाना है—इस बारे में आदेशात्मक उपबन्ध है कि उनका हिस्सा बंटाया जाना है काला धन बांडों के जरिए ऐसा धन एकत्र करने का प्रयास किया जा रहा है जो . . . परे हैं । (**व्यवधान**) महोदय, मुझे आपके ध्यान की आवश्यकता है । जो कुछ मैं कह रहा हूं वे यदि उसका खण्डन करते हैं तो वे सहर्ष करें; वे सहर्ष यह कह सकते हैं कि संविधान महत्वपूर्ण नहीं है . . .

अध्यक्ष महोदय : संविधान बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अनुच्छेद 270 के अन्तर्गत यदि राज्यों को आयकर की वसूल की गई राशि का हिस्सा दिया जाना है और यदि आज कालाधन बांडों के जरिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसमें आयकर वसूल नहीं किया जाना है बल्कि भारत सरकार द्वारा इन काला धन बांडों के जरिये—चाहे कोई भी उद्देश्य हो चाहे उनका उद्देश्य बिल्कुल राजनीतिक हो या बिल्कुल निजी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है—वह धन एकत्र किया जाना है जो आय-कर के रूप में अदा नहीं किया गया हैं, जब वह धन भारत सरकार के खजाने में आयेगा तो राज्यों को उनका हिस्सा नहीं मिलेगा—जैसा कि अनुच्छेद 270 में अपेक्षित है कि सरकार करों में से उनका हिस्सा उन्हें देगी ।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह स्वयं अध्यादेश के बारे में है । अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद् के अन्तराल के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है । मेरे माननीय साथी श्री बाजपेयी इस मुद्दे का उल्लेख कर चुके हैं । लेकिन मैं इस अनुच्छेद को पढ़ना चाहूंगा जिसमें केवल एक ही वाक्य है :

> "123 (1) यदि किसी भी समय, उस समय को छोड़कर जब संसद् के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो, राष्ट्रपदि इस बात से सन्तुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनके कारण तत्काल कार्यवाही करना उनके लिए आवश्यक हो गया है, तो वे ऐसे अध्यादेश लागू कर सकते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उन्हें आवश्यक प्रतीत होते हैं ।"

मुझे नहीं मालूम कि वित्त मंत्री ने और इस सरकार ने किस प्रकार राष्ट्रपति को यह अध्यादेश लागू करने की सलाह दी थी और वे किसी को भी इस बात का यकीन कैसे दिला सकते हैं, कि अचानक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसके कारण तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक हो गया था, कि उस प्रकार की तत्काल कार्यवाही के लिए अचानक परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थीं । काला धन परिचालन में रहा है और उन माननीय सदस्यों ने जो न केवल सरकारी पक्ष में बैठे हैं बल्कि मंत्रिमंडल में भी हैं, इस सम्बन्ध में बहुत गम्भीर वक्तव्य दिया था और इन सबके बावजूद यदि वे राष्ट्रपति को इस प्रकार की सलाह देते हैं, तो यह भी संविधान का उल्लंघन है ।

एक ऐसे सदस्य के रूप में, जिसने इस संविधान का समर्थन करने की शपथ ली है। मेरा निवेदन यह है कि इस पत्र को सभा के पटल पर नहीं रखा जा सकता हैं और मैं इस पत्र को सभा पटल पर रखे जाने का विरोध करता हूं ।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी श्री जार्ज फर्नान्डीस और बाजपेयी जी ने इस सम्बन्ध में काफी बातें कहीं और मैं भी वही कहने वाला था कि आपके निर्देश के बावजूद जब पालियामेंट का सेशन खुलने वाला था और जब आपके द्वारा सम्मन कर दिया गया था तथा राष्ट्रपति के द्वारा भी तो इस बीच में कोई ऐसा विषय नहीं था, जिसको आप आर्डिनेन्स के जरिए लावें और पालियामेंट में पेश करें।

अध्यक्ष जी, आपको याद होगा हम लोग हमेशा कहते हैं कि इस सरकार की नीति और नीयत दोनों में तालमेल नहीं है। सरकार की नीति कुछ और है और नीयत कुछ और है और एक समय आयेगा जब यह आर्डिनेन्स इस बात को साबित करेगा कि जो एक्चुअल टैक्स-पेयर्स हैं, जो हाई कोर्ट के जजेज हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जो ईमानदारी से सरकार को पैसा देते हैं—वे इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनसे पूछिए—इसके बारे में उनके दिल पर क्या गुजरती है? कभी हाजी मस्तान और बखिया ने कहा था—इस तरह का जो काम आप कर रहे हैं—सब अपने पार्टी इन्टरेस्ट और व्यक्तिगत इन्टरेस्ट में कर रहे हैं और एक प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने जा रहे हैं।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह असंवैधानिक है, आपकी मान्यता के विपरीत है और आज तक जो आपकी परम्परा रही है उसके विपरीत है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने मामले की जांच की है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपसे जानना चाहता हूं। अब मेरे मित्र ने कहा। आपने किस नियम के अधीन एक अध्यादेश के विरोध की अनुमति दी है जबकि इसका विरोध करने वाला एक संवैधानिक संकल्प पहले से ही मौजूद है? कृपया मुझे बतायें। यदि विधायी अक्षमता हो तो किसी विधेयक के प्रस्ताव का विरोध किया जा सकता है, परन्तु अध्यादेश अथवा पत्र सभा पटल पर रखने का विरोध नहीं किया जा सकता। किस नियम के अधीन, श्रीमान् ?

अध्यक्ष महोदय : एक बहुत अच्छे साथी होने के नाते मैं आपको बुलाऊंगा।

मैंने मामले की जांच की है। मुझ से पहले के प्रतिष्ठित अध्यक्षों ने पिछले वर्षों में समय-समय पर इस सम्बन्ध में अवलोकन किया है। मैंने भी जांच की और पहले भी कर अथवा शुल्क लेने के लिए राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किये गये थे।

सरकार ने पहले ही इन अध्यादेशों का स्थान लेने वाले विधेयकों को लाने की अपनी विचारधारा का संकेत कर दिया है। जब सभा में सम्बद्ध विधेयकों पर विचार होगा तब सदस्य भली भांति प्रश्न उठा सकते हैं।

तथापि इन अध्यादेशों को आज सभा पटल पर रखने में कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान) आपने लिखे हुये नोट से पढ़ा है। उन्हें सुनने से पहले ही ये नोट तैयार किये गये थे।

अध्यक्ष महोदय : निश्चय ही मेरे पास नोट्स हैं, परन्तु मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं । मैंने सभी बातों पर सलाह-मशविरा किया है और मैं इन सब बातों को पढ़ता रहा हूं ।

श्री धनिक लाल मंडल (झंझारपुर) : आपने तो इतना भी नहीं कहा कि यह गलत काम हो रहा है ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : कम से कम इतना अवश्य कहिए कि यह गलत हो रहा है

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ मुझे कहना था मैं कह चुका पिछली वार भी मैंने कहा था और अब भी कहा है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

विशेष वाहक बन्धपत्र (उन्मुक्ति और छूट) अध्यादेश, 1981, दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) अध्यादेश, 1981; जीवन बीमा निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1981, तथा राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1979–80 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा ।

संसदीय कार्य और निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति—

(एक) राष्ट्रपति द्वारा 12 जनवरी, 1981 को प्रख्यापित विशेष वाहक बन्धपत्र (उन्मुक्ति और छूट) अध्यादेश, 1981 (1981 का संख्या 1) । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–1771/81]

(दो) राष्ट्रपति द्वारा 21 जनवरी, 1981 को प्रख्यापित दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (1981 का संख्या 2) [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—1772/81]

(तीन) राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी, 1981 को प्रख्यापित जीवन बीमा निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (1981 का संख्या 3) [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—1773/81]

(2) (एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1979–80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1979–80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—1774/81]

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 तथा सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 8(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की प्रति जो, दिनांक 6 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा अर्ध-निर्मित चमड़े पर निर्यात शुल्क मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से घटाकर मूल्यानुसार 10 प्रतिशत करने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 1775/81]

(2) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 11(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 9 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा मूंगफली की गिरी और छिलके समेत मूंगफली पर निर्यात शुल्क की दर में वृद्धि के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1776/81]

अध्यक्ष महोदय : सभा अब कल 11 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है ।

1.14 बजे म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 17 फरवरी, 1981/28 फाल्गुन, 1902 (शक) ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

न० ग० भा० ग० नु० मि० रो० ।० दि०--3477 एल०एस०-30-3-81--350